FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम..........

पूनमाराम वगैरा बनाम खेताराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 78/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/2/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिछ्छाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/3/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/03/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली कीया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुउपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी चुनाव मिटिंग के जयपुर पधारे हुए है अतः मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 03/04/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
03/04/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुउपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई अप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner

अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की
एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने
बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के
चारों ओर पक्के नेवाम स्थापित करवाना आव-
श्यक है इसलिए प्रार्थी का नेवामबंदी आवेदन
स्वीकार कीया जाकर नेवामबंदी आदेश कीया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन
पर प्रार्थी का नेवामबंदी आवेदन स्वीकार कीया
जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त कीया
जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं
या अपने अधिनस्थ कोई भी भू० अभिलेख निरीक्षक
से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेवामबंदी मौके
पर शुल्क जमा कराकर करें, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
शामिल पत्रावली हो पत्रावली अमल शुमार हो दर्ज नम्बर
से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

[signature] 03.4.2019

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2019 / 19 दिनांक : 3/4/19

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. पुनमाराम पुत्र अचलाराम वगैरा 3 निवासी केसुम्बला महेचान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. खेताराम पुत्र जीयाराम वगैरा 37 निवासी केसुम्बला महेचान तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 78 / 2019

आदेश

मौजा केसुम्बला महेचान पटवार हल्का केसुम्बला भाटियान के खेत खसरा नम्बर 08 रकबा 2.08 बीघा, खसरा नं. 9 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नं. 10 रकबा 20.06 बीघा, खसरा नं. 35 रकबा 31.11 बीघा, खसरा नं. 36 रकबा 34.18 बीघा, खसरा नं. 14 रकबा 96.18 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना गिड़ा / बायतु / नागाणा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

03.4.2019
(अनिल कुमार पुनिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2019 / 20 to 24 दिनांक : 3/4/2019

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का केसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री पुनमाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री खेताराम वगैरा 37।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

03.4.2019
उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Scanned by CamScanner